

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Election Petition No. 6/2024

Anil Chopra S/o Babu Lal Chopra

-----Petitioner

Versus

The Returning/assistant Returning Officer & Ors.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Shriram Dhakar, P.P. Mr. Salim Khan for Mr. Falak Mathur Mr. Anurag Sharma with Mr. Akshat Sharma Mr. Nikhil Simlote

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

26/02/2026

योग्य अधिवक्ता याची/प्रार्थी द्वारा एक प्रा०पत्र आई०ए०-01/2026, प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अयाची सं.13 काहन्वी बोहरा बार-बार तामील से बच रहे हैं, अतः प्रा०पत्र स्वीकार कर उस पर प्रतिस्थापित तामील अं. आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. के तहत कराये जाने की अनुमति दी जावे।

सुना गया।

चूंकि यह चुनाव याचिका है, जिनकी शीघ्र सुनवाई की जानी है। अतः प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 5 नियम 20 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाकर अयाची संख्या-13 पर प्रतिस्थापित तामील कराए जाने के आदेश दिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया जाता है कि अयाची संख्या-13 पर रजिस्टर्ड डाक से तामील कराई जावे, साथ ही अयाची संख्या-13 के मकान पर चस्पान्दगी से भी तामील कराई जावे।

कार्यालय इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करें।

योग्य अधिवक्ता अयाची संख्या-1 से 4 की ओर से प्रार्थना पत्र आई.ए-2/2026, अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0, पेश कर निवेदन किया कि वे इस प्रकरण में ना तो आवश्यक पक्षकार हैं, ना ही उचित पक्षकार हैं, अतः उनका नाम इस याचिका से हटाया जावे।

योग्य अधिवक्ता याची उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने के लिए अवसर चाहते हैं।

अयाची संख्या-5 का निवेदन है कि उन्हें इस आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

अयाची संख्या-1 से 4 के योग्य अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे आज ही उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति योग्य अधिवक्ता अयाची संख्या-5 को उपलब्ध करावें।

अयाची संख्या-5 इस याचिका व प्रार्थना पत्र आई.ए. 02/2026 का जवाब पेश करने के लिए अवसर चाहते हैं।

पत्रावली दिनांक 10.04.2026 को सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J